

**06 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार -**

आज दिनांक 19.09.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग दौरान थाना कोपांगज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त दुर्गा पुत्र पुन्नवासी निवासी जोगवीर थाना कोपांगज जनपद मऊ व संतोष पुत्र मोहनराम निवासी खुखन्दवा थाना कोपांगज जनपद मऊ, बब्बन पुत्र बीरबल, सुजेश पुत्र सकलदेव, राजेश पुत्र अन्तू, सिपाही पुत्र खिचड़ी निवासीगण धवरिया साठ थाना कोपांगज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01****अभियुक्त 03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय सीजेएम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 19-09-2024 को मु0अ0सं0 1621/2010 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि0 थाना घोसी में दोषसिद्ध अभियुक्त रामबदन राय पुत्र मारकण्डेय राय निवासी कुरंगा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी कमलेश भारती थाना घोसी का सराहनीय योगदान रहा।